26 अध्याय

भारतः वन्य जीवन

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- भारत में वन्य जीवन की स्थिति क्या है।
- भारत ने इनके संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु क्या प्रयास किए हैं।

वन्य जीवन (Wildlife)

भारत विश्व के 17 वृहद जैव-विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ विश्व के मात्र 2.4% भू-क्षेत्र पर ज्ञात वैश्विक जैव-विविधता का लगभग 8 प्रतिशत प्राप्त होता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में नीतिगत रूपरेखा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले 'राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड' (National Board for Wildlife) द्वारा तैयार की जाती है। वर्ष 2002 में अपनाई 'राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना' (National Wildlife Action Plan) 2002-2016 के तहत वन्य जीव संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी और उनके समर्थन पर जोर दिया गया है।

भारतीय संविधान के तहत वनों एवं वन्य जीवन को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसके अनुसार केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जहाँ वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निरूपण करता है वहीं प्रांतीय वन विभागों को वन्यजीव संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक तत्व और मूलकर्तव्य वाले अध्याय में वन्य जीवन की सुरक्षा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 में उपबंधित है कि 'राज्य पर्यावरण को सुधारने तथा देश के वनों और वन्य प्राणियों को बचाने का प्रयत्न करेगा' और अनुच्छेद 51-ए में यह उपबंधित है कि 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने प्राकृतिक क्षेत्र जैसे—वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करें तथा जीवों के प्रति दया का भाव रखे।

भारत में संरक्षित क्षेत्रों का वर्गीकरण (Classification of Protected Area in India)

- भारत में अब तक 668 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया जा चुका है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.90 प्रतिशत भाग है। अत: भारत के संरक्षित क्षेत्रों को तीन वर्गों में बाँटा जा सकता है—

1. वन्य जीव अभ्यारण्य (Wildlife Sanctuary)
2. राष्ट्रीय उद्यान (National Park)
3. जैव मंडल रिजर्व (Biosphere Reserve)

वन्य जीव अभ्यारण्य

वन्यजीव अभयारण्य ऐसे क्षेत्र होते हैं, जो पारिस्थितिकी, पशु-पक्षियों, वनस्पतियों, भू-आकृतिक प्राकृति या प्राणी विज्ञान की दृष्टि से सार्थक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी अभ्यारण्य की घोषणा उसके क्षेत्र के वन्यजीवन एवं पर्यावरण-पारिस्थितिकी के संरक्षण, विस्तार तथा विकास के उद्देश्य से की जाती है। इस अभ्यारण्य के भीतर रहने वाले लोगों के कुछ निश्चित अधिकार अनुमन्य किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अभ्यारण्य को अंतिम रूप से अधिसूचित किए जाने से पहले दावों के निपटारे के दौरान, कलेक्टर मुख्य वन्यजीव संरक्षक से सलाह कर अभ्यारण्य की सीमाओं के भीतर किसी भूमि पर किसी व्यक्ति के किसी अधिकार को जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकता है।

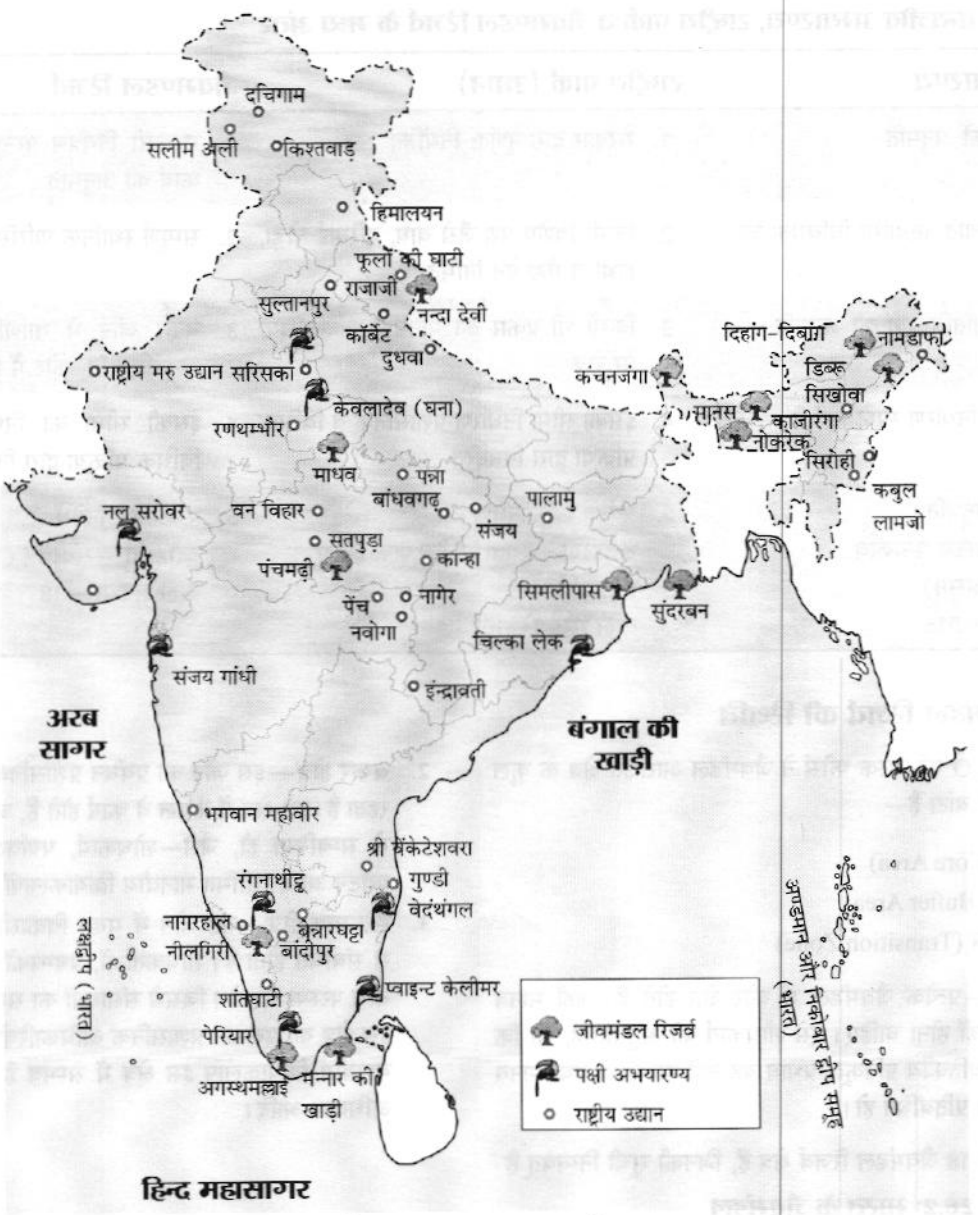

चित्र 26.1: भारत: वन्य जीवन

राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभ्यारण्य की तरह ही राष्ट्रीय उद्यान भी पारिस्थितिकी की, पशु-पक्षियों, वनस्पतियों, भू-आकृतिक प्राकृतिक या प्राणीविज्ञान की दृष्टि से सार्थक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र होते है तथा राष्ट्रीय उद्यान भी उसके क्षेत्र के वन्य जीवन एवं पर्यावरण-पारिस्थितिकी के संरक्षण, विस्तार और विकास के उद्देश्य से घोषित किए जाते है। किसी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर मुख्यत: उनके भीतर रहने वाले लोगों के अधिकारों के प्रत्यायोजन में निहित है अभ्यारण्य के विपरीत (जहाँ कुछ निश्चित अधिकार अनुमन्य किये जा सकते हैं) राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी अधिकार की स्वीकृति नहीं होता है। एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी मवेशी को चराई की कोई अनुमति नहीं होती है जबकि अभ्यारण्य में मुख्य वन्यजीव संरक्षक इसे विनियमित, नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकता है। इसके अतिरिक्त जहाँ किसी अभ्यारण्य से वन्यजीव या वन उत्पाद के किसी निष्कासन या दोहन के लिए राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Board for Wildlife) की अनुशंसा की आवश्यकता होती है वह राष्ट्रीय उद्यान में से ऐसे किसी कार्य के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board for Wildlife) से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है।

जैवमण्डल रिजर्व

जब विशेष प्राकृतिक इकाई के समग्र पारिस्थितिक को संरक्षित किया जाता है तो उसे जैवमंडल रिजर्व की संज्ञा दी जाती है।

तालिका 26.1: वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क व जैवमण्डल रिजर्व के मध्य अंतर

वन्यजीव अभ्यारण्य	राष्ट्रीय पार्क (उद्यान)	जैवमण्डल रिजर्व
1. निजी कार्य की अनुमति	1. सरकार द्वारा पूर्णत: नियंत्रित	1. सरकारी नियंत्रण परन्तु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति
2. जीवों की प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण	2. किसी विशेष पशु जैसे बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी व गैंडा हेतु निर्मित	2. सम्पूर्ण स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा
3. वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति	3. किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक	3. बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति परंतु, कोर में निषेध
4. इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है	4. इसका सीमा निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित	4. इसकी सीमा का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित
5. पर्यटन की अनुमति **उदाहरण**—मानस वन्यजीव अभ्यारण्य (असम) **कुल संख्या**—515	5. पर्यटन की अनुमति **उदाहरण**—दुधवा राष्ट्रीय पार्क (उत्तर प्रदेश) **कुल संख्या**—102	5. पर्यटन पर निषेध **उदाहरण**—सुंदरवन (पश्चिम बंगाल) **कुल संख्या**—18

भारत में जैवमंडल रिजर्व की स्थिति

1976 में UNESCO की टास्क फोर्स ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के कुल क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है—

1. कोर क्षेत्र (Core Area)
2. बफर क्षेत्र (Buffer Area)
3. संक्रमण क्षेत्र (Transition Zone)

1. **कोर क्षेत्र**—प्रत्येक जैवमंडल में कोर क्षेत्र होते हैं। जहाँ मानव अधिवास नहीं होना चाहिए। ऐसे शोधकार्य की अनुमति है, जो कि वहाँ पारिस्थितिकीय प्रतिकूल प्रभाव यह नहीं डालते हो तथा मानव क्रियाकलाप प्रतिबंधित हो।
2. **बफर क्षेत्र**—इस जोन का प्रबंधन प्रशासनिक अधिकारियों के पास रहता है। इस क्षेत्र में केवल वे कार्य होते हैं, जो कोर जोन के संरक्षण से सम्बन्धित हो, जैसे—शोधकार्य, पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण, पर्यटन आदि। सीमित मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति भी है।
3. **संक्रमण क्षेत्र**—यह जोन में मुख्य विकासीय कार्यों व योजनाओं से संबंधित होता है। शोधकर्ताओं, प्रबन्धकों एवं स्थानीय लोगों के बीच परस्पर सहयोग जिससे संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। इस क्षेत्र का प्रबन्धन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा होता है। कई मानवीय क्रियाकलाप इस क्षेत्र में सम्भव है जैसे—नवीनीकरण व अधिवास आदि।

वर्तमान में भारत में 18 जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र हैं, जिनकी सूची निम्नवत् है

तालिका 26.2: भारत के जैवमंडल

जैवमंडल रिजर्व का नाम	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	विस्तार
नीलगिरि (1986)	5520	तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में विस्तार
नन्दा देवी (1988)	5860	उत्तराखण्ड
नोकरेक (1988)	820	मेघालय
मानस (1989)	2837	असम
सुन्दरवन (1989)	9630	पश्चिम बंगाल
मन्नार की खाड़ी (1989)	10500	तमिलनाडु
ग्रेट निकोबार (1989)	885	अंडमान तथा निकोबार

(Continued)

जैवमंडल रिजर्व का नाम	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	विस्तार
सिमलीपाल (1994)	4374	ओडिसा
डिब्रू सैखोवा (1997)	765	असम
देहांग दिबांग (1998)	5111	अरूणाचल प्रदेश
पंचमढ़ी (1999)	4981	मध्य प्रदेश
कंचनजंगा (2000) (रवांगचेन्द जोंगा)	2931	सिक्किम
अगस्तमलाई (2001)	3500	केरल
अचानकमार अमरकंटक (2005)	3835	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
कच्छ का ज्ञान (भारतीय रिजर्व) (2008)	12,454	गुजरात
कोल्ड डिजर्ट (शीत मरूभूमि) (2009)	7770	हिमाचल प्रदेश
शेषाचलम (2010)	4755	आन्ध्र प्रदेश
पन्ना (2011)	2998	मध्य प्रदेश (पन्ना व छत्तरपुर जिले में विस्तारित)

महत्वपूर्ण तथ्य

क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जैवमंडल रिजर्व—1. कच्छ का रण, 2. मन्नार की खाड़ी, 3. सुन्दरवन, 4. कोल्ड डिजर्ट, 5. नन्दा देवी

क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जैवमंडल रिजर्व—1. डिब्रू सिखोवा, 2. नोकरेक, 3. ग्रेट निकोबार, 4. कंचनजंगा, 5. मानस

यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल—1. नीलगिरी, 2. नन्दा देवी, 3. नोकरेक, 4. सुन्दर वन, 5. मन्नार की खाड़ी जैवमंडल रिजर्व 6. ग्रेट निकोबार, 7. सिमलीपाल, 8. पंचमढ़ी, 9. अचानकमार अमरकंटक, 10. अगस्तमलाई, 11. कंचनजंगा (सिक्किम) 2016

देश का सबसे पहला जैवमंडल रिजर्व—1. नीलगिरी

पूर्वोत्तर राज्य के जैवमंडल रिजर्व—1. नोकरेक (मेघालय), 2. मानस (असम), 3. डिब्रूसैखोवा (असम) 4. देहांग दिबांग (अरूणाचल), 5. कंचनजंगा (सिक्किम)

भारत के राष्ट्रीय पार्क

सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क की संख्या वाला राज्य—मध्य प्रदेश (कुल 9 राष्ट्रीय पार्क हैं)

1. बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान — बाघ संरक्षण हेतु
2. मांडला राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान — पौंध जीवाश्म हेतु
3. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान — बाघ संरक्षण हेतु
4. माधव राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान —
5. पेंच (प्रियदर्शिनी) राष्ट्रीय उद्यान — बाघ संरक्षण
6. संजय राष्ट्रीय उद्यान —
7. सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान —
8. वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान —
9. पन्ना राष्ट्रीय उद्यान —

सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क की संख्या वाला केन्द्रशासित प्रदेश—अंडमान निकोबार (कुल 9 राष्ट्रीय पार्क हैं)

1. कैम्पबेल वे राष्ट्रीय उद्यान
2. गैलेथिया वे राष्ट्रीय उद्यान
3. महात्मा गांधी मैरीन (वांडूर) राष्ट्रीय उद्यान
4. मिडिल बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान
5. माउंट हरिएट राष्ट्रीय उद्यान
6. नार्थ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान
7. रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान
8. सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान
9. साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान

तालिका 26.3: न्यूनतम राष्ट्रीय पार्क की संख्या वाले राज्य

राज्य	संख्या	राष्ट्रीय पार्क का नाम
बिहार	01	बाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क
गोवा	01	भगवान महावीर (भोलेय) राष्ट्रीय पार्क
झारखण्ड	01	बेतला राष्ट्रीय पार्क
उत्तर प्रदेश	01	दूधवा राष्ट्रीय पार्क
मणिपुर	01	केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क
नागालैंड	01	इनतांकी राष्ट्रीय पार्क
सिक्किम	01	खांगनचांद देहांग (कंचनजंगा) राष्ट्रीय पार्क

भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क—भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जम्मू-कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम हेमिस है और यह 3350 वर्ग किमी. में विस्तृत है।

भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क—देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क अण्डमान निकोबार स्थित साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय पार्क (0.03 वर्ग किमी.) है।

भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क—जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखण्ड) जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गयी।

राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं (National Wildlife Conservation Project)

बाघ परियोजना (Project Tiger)

बाघों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें सुरक्षित अधिवास व प्रजनन क्षेत्र उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों के प्रबंधन तथा इनकी सुरक्षा के उपाय के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों का पारिस्थितिकी विकास करना है, जहां बाघ पाये जाते हैं। इसके अलावा इसके उद्देश्यों में बाघ परियोजना के क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को आत्मनिर्भर बनाना भी शामिल है, ताकि वे बाघ परियोजना संचालित क्षेत्रों के संसाधनों पर निर्भर न रहे।

भारत में वर्तमान में 50 बाघ रिजर्व हैं, जो निम्नवत् हैं

तालिका 26.4: भारत के बाघ रिज़र्व

राज्य	संख्या	बाघ रिजर्व
असम	3	काजीरंगा, मानस, नेमेरी,
अरूणाचल प्रदेश	2	नामदफा, पाकुई
आन्ध्र प्रदेश	1	नागार्जुन सागर (श्री सेलम)
बिहार	1	वाल्मीकी
छत्तीसगढ़	3	इन्द्रावती, अचानकमार, उदती, सीतानदी
झारखण्ड	1	पलामू
कर्नाटक	5	बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दादेली, अंशी, बिलीगिरि, रंगनाथ
केरल	2	पेरियार, पारम्बिकुलम
मध्य प्रदेश (टाइगर स्टेट)	6	बाधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुबारी
महाराष्ट्र	6	मेलघाट, पेंच, तादोवा-अधेरी, सह्याद्री, नवेगांव नागजिरा, बोर
मिजोरम	1	डंपा
राजस्थान	3	राणथम्भौर, सरिस्का, मुकुद्रा पहाड़ी
उत्तर प्रदेश	3	दुधवा, अमानगढ़ पीलीभीत
पश्चिम बंगाल	2	बुक्सा, सुन्दरवन
तेलंगाना	1	कवल
ओडिशा	2	सिमिलीपाल, सतकोसिया
तमिलनाडु	4	कालकड़ मुदथुरेई, अन्ना मलाई, मदुमलाई, सत्यमंगलम
उत्तराखण्ड	2	राजा जी, जिम कार्बेट

विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व—नामदफा (अरूणाचल प्रदेश)

विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व—काजीरंगा (असम)

भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व (क्षेत्रफल)—नागार्जुन सागर श्री सेलम (आन्ध्र प्रदेश)

भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व (क्षेत्रफल)—पेंच (महाराष्ट्र)

भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व—कालकड़-मुदथुरेई (तमिलनाडु)

भारत का नवीनतम बाघ रिजर्व—48 वाँ राजा जी (उत्तराखण्ड) 2015, 49 वाँ औरंगाबाद अभ्यारण्य (असम) 2016, 50 वाँ कामलांग वन्य जीव अभ्यारण्य (अरूणाचल) 6 सितम्बर, 2016

हाथी परियोजना (Project Elephant)

भारतीय संस्कृति में हाथियों को शुभ मानते हुए विशेष महत्व दिया गया है तथा ये हमारी परंपराओं का अभिन्न अंग रहे हैं। भारत में हाथियों के संरक्षण के दृष्टिगत केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में फरवरी, 1992 में हाथी परियोजना (Project Elephant) की शुरूआत की गई। इस परियोजना का उद्देश्य हाथियों की अच्छी संख्या वाले राज्यों में हाथियों, उनके पास-स्थानों तथा आवागमन कारिडोरों के संरक्षण हेतु वित्तीय तथा तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराना है। यह परियोजना वर्तमान में देश के 14 हाथी बहुल राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है हाथियों के संरक्षण हेतु इन राज्यों में विशिष्ट क्षेत्रों में हाथी रिजर्वों की स्थापना को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। हाथी परियोजना के तहत मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दे तथा पालतू हाथियों के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

हाथी परियोजना के तहत कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं

- हाथियों के वर्तमान प्राकृतिक वास-स्थानों और प्रवास मार्गों की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना।
- भारत में वन्य एशियाई हाथियों की उपयुक्त जनसंख्या और हाथियों के वास-स्थानों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध प्रबंधन का विकास।
- महत्वपूर्ण हाथी वास-स्थानों में मानवजनित गतिविधियों के दबाव को कम करना।
- शिकारियों एवं अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु से बचाव हेतु वन्य हाथियों के संरक्षण उपायों को सुदृढ़ करना।

- हाथी प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर शोध को बढ़ावा देना तथा संबंधित लोक शिक्षा एवं जन-जागरूकता अभियान चलाना।
- पारिस्थितिकीय विकास और वन्यजीव पशु चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य:

- फरवरी, 2010 में केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरणविद महेश रंगराजन की अध्यक्षता में हाथियों के संरक्षण पर सुझाव देने के लिए 12 सदस्यीय कार्यबल गठित किया गया था, जिसके सुझावों के आधार पर सरकार ने अगस्त, 2010 में हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु (National Heritage Animal) घोषित किया है।
- May 2011 में नई-दिल्ली में संपन्न 'हाथी-8 मंत्रिस्तरीय बैठक' के दौरान सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से जुड़े देशव्यापी जागरूकता अभियान 'हाथी मेरी साथी' का भी शुभारंभ किया गया है।

तालिका 26.5: भारत के हाथी रिजर्व

हाथी रेंज	हाथी रिजर्व	संबंधित राज्य
(A) पूर्वी भारत (पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, ओडिशा, छत्तीसगढ़)	1. मयूर झरना	पश्चिम बंगाल
	2. सिंहभूमि	झारखण्ड
	3. मयूरभंज	ओडिशा
	4. महानदी	ओडिशा
	5. संबलपुर	ओडिशा
	6. बैतरणी	ओडिशा
	7. दक्षिण ओडिशा	ओडिशा
	8. लेमरू	छत्तीसगढ़
	9. बदलखोल तमोरपिंगला	छत्तीसगढ़
(B) उत्तर ब्रह्मपुत्रा (अरूणाचल, असम)	1. कामेंग	अरूणाचल
	2. सोनितपुर ईआर	असम
(C) दक्षिण ब्रह्मपुत्रा (असम, अरूणाचल)	1. दिहिंग-पटकाई	असम
	2. दक्षिण अरूणाचल	अरूणाचल
(D) काजीरंगा (असम, नागालैंड)	1. काजीरंगा कार्बी आंगलांग	असम
	2. धनसिरी लूंगाडिग	नागालैंड
(E) उत्तरी भारत (उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश)	1. शिवालिक	उत्तराखण्ड
	2. उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व	उत्तर प्रदेश
(F) पेरियार (केरल, तमिलनाडु)	1. पेरियार	केरल
	2. श्री विलिपुत्तूर ईआर	तमिलनाडु
(G) दक्षिण नीलगिरि (केरल, तमिलनाडु)	1. नीलाम्बूर	केरल
	2. कोयम्बटूर	तमिलनाडु
(H) पश्चिमी घाट (केरल, तमिलनाडु)	1. अन्नामलाई	तमिलनाडु
	2. अनाइमुदी	केरल
(I) नीलगिरी पूर्वी घाट (कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश)	1. मैसूर	कर्नाटक
	2. वायनाड	केरल
	3. नीलगिरी	तमिलनाडु
	4. रायला	आन्ध्र प्रदेश
(J) पूर्वी हिमालय (मेघालय)	1. गारो हिल्स	मेघालय
	2. खासी हिल्स मेघालय	
(K) उत्तर बंगाल-ग्रेटर मानस परिदृश्य (असम-पश्चिम बंगाल)	1. चिरांग-रिपू	असम
	2. पूर्वी दोआर	पश्चिम बंगाल

अध्याय सार संग्रह

- सम्पूर्ण विश्व की कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पायी जाती है— 8%
- राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता करता है— प्रधानमंत्री।
- भारतीय संविधान में वन और वन्य जीवों को सम्मलित किया गया— समवर्ती सूची।
- 'राज्य पर्यावरण को सुधारने तथा देश के वनों और वन्य प्राणियों को बचाने का प्रयत्न करेगा' ऐसा उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है— अनुच्छेद 48 (राज्य के नीति निदेशक तत्व)।
- भारत में अब तक कुल संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है— 668 (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.1)
- वन्यजीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या—575
- राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या— 102
- जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या— 18
- भारत का पहला जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र— नीलगिरि
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र— कच्छ का रन
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैवमण्डल आरक्षित क्षेत्र— डिव् सिखोवा
- सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या — 9-9 असम और अण्डमान निकोबार
- भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क— लेह (जम्मू कश्मीर), साउथ बटन द्वीप (अण्डमान निकोबार)
- भारत में कुल बाघ रिजर्वों की संख्या— 50
- सबसे ऊँचाई पर स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्र— नामदफ, अरूणाचल प्रदेश
- विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व क्षेत्र— असम
- भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र— नागार्जुन सागर श्री सेलम (आध्र प्रदेश)
- भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व क्षेत्र— पेंच (महाराष्ट्र)